

## आवेदन-पत्र/संवीक्षा पत्र

सेवा में,

श्रीमान अनुज्ञापन अधिकारी,

जिला रसद अधिकारी,  
जयपुर

मान्यवर,

राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन एवं नियंत्रणद्व आदेश 1980 के अधीन मुझे अनुज्ञापन की आवश्यकता है, इस हेतु मैं इस प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. निर्धारित प्रपत्र में 2 रूपये कोर्ट फीस सहित, पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र।
2. आवेदक के पासपोर्ट साइज के दो फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित।
3. निवास की सत्यता के प्रमाण-पत्र स्वरूप फहचान पत्र/मतदाता सूची/राशन कार्ड की फोटो प्रति सत्यापित कराकर संलग्न कर दिया है।
4. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/कंपनी होने की स्थिति में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का प्रमाण पत्र/सहकारी समिति होने की स्थिति में सहकारी विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाणित पत्र संलग्न कर दिया है।
5. यदि फर्म भागीदारी है तो भागीदारी डीड की सत्यापित प्रति/कम्पनी हैं तो मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एवं निर्देशों की सूची/सहकारी समिति की स्थिति में सहकारी समिति के नियम/उपनियम की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की गई है। कम्पनी होने की स्थिति में निर्देशों की सूची निवास के पते एवं दूरभाष संख्या सहित संलग्न कर दी गई है।
6. यदि कंपनी आवेदक हो तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के लिये कम्पनी के प्रस्ताव (Resolution) सहकारी समिति की स्थिति में संचालक मण्डल की बैठक के निर्णय के सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की गई है।
7. आवेदक के चाल चलन एवं आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में दो थोक अनुज्ञाप्तिधारियों अथवा दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।
8. नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर हलफनामा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न कर दिया है।

9. गोदाम एवं व्यापार स्थल के लिये ब्लू प्रिन्ट को दो प्रतियां आवेदक द्वारा प्रमाणित कर मय टाईटल प्राप्त कर लिया है। जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर दी गई हैं।
10. हमने कृषि उपज मण्डी लाईसेन्स/आर.एस.टी./सी.एस.टी. नगर परिषद लाईसेन्स/नगरपालिका का लाईसेन्स प्राप्त कर लिया है। जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर दी गई हैं।
11. उत्पादक के मामले में उद्योग विभग से प्रमाणित क्षमता प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया है।
12. आवेदक द्वारा थोक/खुदरा अनुज्ञापत्र हेतु लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति राशि निर्धारित मद में सीधे ही बैंक में जमा करा दी गई है जिसकी बैंक चालान संख्या ..... (लाईसेन्स फीस) ..... दिनांक ..... राशि ..... तथा घरोहर राशि बैंक चालान नम्बर ..... दिनांक ..... राशि ..... का मूल चालान संलग्न कर दिया गया है।
13. अल्प बचत में ..... रूपये की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद कर उसकी फोटो प्रति संलग्न कर दी गई हैं।
14. अन्य कोई दस्तावेज यदि आवश्यक हो तो मैं प्रस्तुत कर दूँगा।
15. बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बगैर मैं व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करूँगा।

जयपुर

भवदीय

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम : .....  
 पिता का नाम : .....  
 निवास पता : .....  
 फर्म का नाम : .....  
 फर्म का पता : .....

#### आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद

श्री ..... पुत्र श्री ..... फर्म का नाम .....  
 फर्म का पूर्ण पता ..... का आवेदन पत्र बाबत आर.टी.  
 एल. प्राप्त किया, दिनांक ..... को उपस्थित होवे। बिना अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये व्यसाय  
 किया जाना दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर प्राप्तिकर्ता

भाग "2"

**जॉच अधिकारी की रिपोर्ट**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच मेरे द्वारा कर ली गई है।

1. आवेदक का आवेदन पूर्ण है/अपूर्ण है।
2. आवेदक ने प्रतिभूति राशि/अनुज्ञापत्र राशि जमा करा दी गई है।
3. आवेदक को अनुज्ञापत्र देने की अनुशंसा की जाती है/निम्न कारण से नहीं की जाती है।

हस्ताक्षर प्रवर्तन अधिकारी/निरिक्षक

भाग "3"

**आदेश**

1. आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाये जाने से अनुज्ञाप्ति निर्धारित प्रपत्र में जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।
2. आवेदन पत्र निम्नांकित कारण से निरस्त/लम्बित किया जाता है।

अनुज्ञापन, अधिकारी  
(जिला रसद अधिकारी)

**अनुज्ञापत्र रसीद**

मैंने राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1980 के प्रावधानों को पढ़ लिया हैं तथा पूर्ण रूपेण समझ में आ गया हैं। मैं राज्य सरकार एवं अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों की सतत पालना करता रहूँगा तथा मैं अनुज्ञापत्र संख्या प्राप्त कर लिया है।

हस्ताक्षर

नाम : .....

पिता का नाम : .....

निवास पता : .....

फर्म का नाम : .....

थोक/खुदरा लाइसेन्स प्राप्ति हेतु प्रार्थना—पत्र

सेवा में,

श्रीमान् अनुज्ञापन अधिकारी जी,

श्रीमान् जी,

मैं एतद द्वारा राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स एवं (लाईसेन्सिंग एवं कन्ट्रोल) आदेश, 1980 के अन्तर्गत लाईसेन्स दिये जाने हेतु प्रार्थी हूँ।

आवश्यक विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. प्रार्थी का विवरण

नाम ..... पुत्र श्री .....  
उम्र ..... जाति .....

2. प्रार्थी के निवास स्थान का पूरा पता

लाईसेन्स चाहा गया है

3. नाम/तरीका, जिसमें

4. प्रार्थी के व्यवसाय के स्थान की स्थिति एवं पूरा पता

5. फर्म के पार्टनरों (हिस्सेदारों) के नाम, यदि कोई हो —

1. श्री ..... पुत्र श्री ..... उम्र ..... जाति .....  
2. श्री ..... पुत्र श्री ..... उम्र ..... जाति .....  
3. श्री ..... पुत्र श्री ..... उम्र ..... जाति .....  
4. श्री ..... पुत्र श्री ..... उम्र ..... जाति .....

6. उस व्यापारिक जिन्सों का विवरण जिनमें प्रार्थी व्यापार करना चाहता है —

थोक विकेता के रूप में

खेलंग विकेता के रूप में

1. ....  
2. ....  
3. ....

1. ....  
2. ....  
3. ....

7. प्रार्थना पत्र देने की तारीख को उन व्यापारिक जिन्सों के हाजिस स्टोक का विवरण :

8. उन गोदामों या स्थानों का (मकान नम्बर मौहल्ला नम्बर आदि) पूर्ण पता जहाँ वे व्यापारिक जिन्सें जिनके लिए लाईसेन्स चाहा गया है, रखी जावेगी।

1.

2.

3.

4.

9. क्या प्रार्थी पिछले 3 वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश की अनुपालना न करने के कारण कानूनी न्यायालय द्वारा कभी दोषी ठहराया गया है

10. प्रार्थी द्वारा धारित पिछले 3 वर्षों में लाईसेन्स रद्द होने या रोकने का विवरण

11. क्या प्रार्थी किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत दिवालिया घोषित किया गया था ?  
मैं

घोषित करता हूँ कि ऊपर क्रम संख्या 1 से

12. तक मैं बताया गया विवरण मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सही है और उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

मैं राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स (लाईसेन्सिंग एवं कन्ट्रोल) आदेश, 1980 के अनुबन्धों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने में रजामन्द हूँ।

स्थान :

दिनांक :

मालिक / हिस्सेदार के हस्ताक्षर